

29/09/22 - 15/2015

दिनांक

आज्ञा पत्र

27.9.22

पत्रावली प्रस्तुत वकील अपील/रेस्पॉन्स/उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज... पर है। अतः पत्रावली पूर्व आजानुसार दिनांक... को पेश हो।

29.09.22

पत्रावली पेश वकील अपील को पूर्व पेशी पर हिदायत दी गई थी कि आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रेस्पॉन्डेंट्स के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जाएगी। आज दिनांक तक अपीलांत में रेस्पॉन्डेंट्स के रजिस्टर्ड नोटिस पेश नहीं किये गये हैं इससे स्पष्ट है कि अपीलांत अपनी अपील के प्रति गम्भीर नहीं है। फलस्वरूप अपील अपीलांत आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज की जाती है। निर्णय पर इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार लेकर नंबर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (कैम्प झुन्डुनू)



29.09.22

29.09.22

29.09.22

29.09.22